सं. 163] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 7, 2004/आश्विन 15, 1926
No. 163] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 7, 2004/ASVINA 15, 1926

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

शुद्धिपत्र

(सितम्बर, 2004 के 30वें दिन पारित)

मुंबई, 4 अक्तूबर, 2004

सं. : टीएएमपी/75/2002-सीओपीटी.—इस प्राधिकरण ने कोच्चिं पत्तन न्यास (सीओपीटी) से उसके दरमान के सामान्य संशोधन हेतु प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित प्रकरण सं. टीएएमपी/75/2002-सीओपीटी में 16 दिसम्बर, 2003 को एक आदेश पारित किया था। संशोधित दरमान के साथ यह आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण (भाग III खंड 4) में राजपत्र सं. 14 के द्वारा 14 जनवरी, 2004 को अधिसूचित किया गया था।

2.1 यह पाया गया है कि निर्यात कन्टेनरों पर भूमि किराया लगाने से संबंधित प्रावधान के संदर्भ में इस प्राधिकरण द्वारा पहले किया गया संशोधन अनायास ही संशोधित दरमान में शामिल नहीं किया गया है। तदनुसार, सीओपीटी के वर्तमान दरमान में निम्नलिखित प्रावधान अध्याय IV-कन्टेनर संबंधी प्रभार अनुसूची 4.6 भूमि किराया के नीचे नोट सं. 2 के रूप में शामिल किया जाता है।

''निर्यात कन्टेनर के मामले में, जब नामित पोत लदान आरम्भ कर देता है तब भूमि किराए का लगाना रुक जाएगा।''

2.2 फलस्वरूप, संबंधित अनुसूची में वर्तमान नोट सं. (2) और (3) क्रमशः (3) और (4) के रूप में पुनः अंकित हो जाएंगे।

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/IV/143/04-असा.]